

# 1269

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गाढ (राज.)  
(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - रूपालखी)

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 988 दायर दिनांक 9/12/25 निर्णय दिनांक 09/12/25



क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>रूपालखी</u>	<u>9</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>बडौदा क्षेत्रीय स्वस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर - राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसूच राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>रूपालखी</u> प.ह. <u>रूपालखी</u> खातासं <u>9</u> में वर्तमान प्रविष्ट बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किम्ब जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिनिधि पालनार्थ:-

पटवार मुरारि कपासनी

हस्ताक्षर पटवार

हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार

पदेन सहायक कलक्टर कपासन

1. पटवारी पटवार मुरारि कपासनी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चितौड़गाढ

तहसीलदार कपासनी

तहसील कपासन जिला-चितौड़गाढ